

व ता
म जो
की ता
जारी है

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

क्रमा संख्या :- 11/2021 970 फग

1. लालदीवी जीदगल रस नि० विलेखन- 587 श्रेणी
प्रार्थी.....

बनाम

1. जीदगल पि० रंग लाल रस नि० विलेखन- 587 श्रेणी- का०
विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 6/1/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम ~~चिलखर~~ पटवार हल्का ~~चिलखर~~ तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त तों की खाता संख्या ~~587~~ आराजी नम्बर 3011/587
0.2529

कुल किता. 1 रकबा 0.2529

टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5/01/2021 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी देने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी के का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 ~~लैण्ड रेवेन्यू~~ एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....
~~चिलखर~~ पटवार हल्का ~~चिलखर~~ तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या
आराजी नम्बर 3011/587
0.2529

कुल किता. 1 रकबा 0.2529

हैक्टैयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-भेलेख निरीक्षक ~~राजेश~~ को 11/01/2021 - रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया ता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की जूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

ज्ञग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

तेलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट '07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
करेड़ा जिला भीलवाड़ा